नेहरिया/सरकार

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट किशनगढ़बास (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय हमिशियल जज
22-7-20	वकील प्रार्थी उप०/ अनुसार आदेश दिनांक 26-8-20 को पेश हो।
	26.8.20 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब ~~कोरोना~~ अन्य कार्य में व्यस्त हैं/~~बाहर पधारे हैं~~। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 30.9.20 को पेश हो। रीडर
	30.9.20 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब ✓अन्य कार्य में व्यस्त हैं/~~बाहर पधारे हैं~~। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 11.11.20 को पेश हो। रीडर
11-11-20	वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया। प्रार्थी प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया [illegible] [illegible] प्रा०पत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो। सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)राज0

अध्यासित द्वारा:– श्री मुकुट सिह चौधरी (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सख्या 01

प्रवेश तिथि 06.03.2019

निर्णय तिथि 11.11.2020

1. वेदप्रिय पुत्र स्व0 रमेशचन्द जाति सैनी(माली) निवासी सैदपुर बाग वार्ड नम्बर 1 खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0

उनवान

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशगनढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:– प्रार्थी

:– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

.....

उपस्थिति:–

1. श्री रामजस यादव वकील प्रार्थी की और से।
2. अप्रार्थी की और से पैरोकार सरकार

–: निर्णय:–

पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:–

आराजी खसरा नम्बर हाल 248 रकबा 1.16 हे0, 205 रकबा 0.89 हे., 206 रकबा 0.51 हे., 211 रकबा 0.43 हे0, 214 रकबा 0.18 हे0 वाके गाम खैरथल तहसील किशनगढबास राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2071–74 मे प्रार्थी का नाम वेदप्रकाश '' दर्ज हो रहा है जो प्रार्थी का नाम गलत दर्ज हो रहा है प्रार्थी का सही नाम वेदप्रिय'' है प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत 2071 लगायत 74 प्रार्थना पत्र के साथ पेश है ।

मिन प्रार्थी के बचपन का बोलता हुआ नाम वेदप्रकाश था परन्तु सही नाम वेदप्रिय था गांव मे बचपन मे मिन प्रार्थी को बोलते हुए नाम वेदप्रकाश से ही सम्बोधित किया जाता था वो मिन प्रार्थी बचपन मे वेदप्रकाश के नाम से जाना जाता था वो बोलचाल का नाम था वेदप्रकाश बोलता हुआ नाम वो सही नाम वेदप्रिय प्रार्थी के ही दोनो नाम है इसलिए मिन प्रार्थी की माता गिन्दोडी ने मिन प्रार्थी के पिता रमेशचन्द की मृत्यु के बाद रमेशचन्द पिता की विरासत का इन्तकाल दर्ज कराते समय माता गिन्दोडी ने मिन प्रार्थी का गांव मे बोलता हुआ बचपन का नाम वेदप्रकाश गलत अमल चला आ रहा है प्रार्थ्ज्ञी का सही नाम वेदप्रिय पुत्र रमेशचन्द है वो यही सही नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित किये जाने योग्य है वक्त विरासत इन्तकाल मिन प्रार्थी बचपन मे दर्ज वो स्वीकार हुआ उस समय मिन प्रार्थी नाबालिग था वो मिन प्रार्थी को किसी राजस्व रिकार्ड इन्तकाल आदी की जानकारी कतैई नही थी।

मिन प्रार्थी के पक्ष मे जो दस्तावेजात है सही नाम वेदप्रिय से ही बने है आधार कार्ड सख्या 527356953567 मे भी प्रार्थी का सही नाम वेदप्रिय अंकित है भामाशाह कार्ड भी प्रार्थी के सही नाम वेदप्रिय सैनी के नाम से बना हुआ है वो प्रार्थी के सन्तराम माध्यमिक विधालय आनन्द नगर खैरथल की छात्र प्रवेश लेख /स्थानान्तरण प्रमाण पत्र मे भी प्रार्थी का सही नाम वेदप्रिय सैनी के नाम ही अंकित किया गया है यानि प्रार्थी के किसी भी दस्तावेजात मे प्रार्थी का नाम वेदप्रकाश दर्ज नही है बल्कि सही नाम वेदप्रिय ही दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम वेदप्रिय ही है वेदप्रकाश नही है वेदप्रकाश बचपन का बोलता हुआ नाम था जो सहबन से गलती से माता ने विरासत इन्तकाल मे दर्ज करा दिया वो गलत नाम वेदप्रकाश का नाम का अमल राजस्व रिकार्ड मे होता आ रहा है जो गलत नाम वेदप्रकाश कलमजन किये जाने योग्य है हजफ किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी की और से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार स्वीकार किया जावेः—

अ— यह है कि प्रार्थी का सही नाम वेदप्रिय पुत्र स्व0 रमेशचन्द है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2071—74 वाके ग्राम खैरथल तहसील किशनगढबास की आराजी हाल खसरा नम्बर 248 रकबा 1.16 हे0, 205 रकबा 0.89 हे., 206 रकबा 0.51 हे., 211 रकबा 0.43 हे0, 214 रकबा 0.18 हे0 वाके गाम खैरथल तहसील किशनगढबास मे प्रार्थी का नाम जहां जहा वेदप्रकाश दर्ज है उसे कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वेदप्रिय पुत्र स्व0 रमेशचन्द दर्ज किया जावे । राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थ्ज्ञी का जहा जहा वेदप्रकाश नाम आया है उसे कलमजन किया जाकर सही नाम वेदप्रिय दुरूस्त किया जावे वो राजस्व रिकार्ड हाल मे प्रार्थी का नाम वेदप्रिय दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

ब— यह है कि खर्चा मुकदमा प्रार्थी को अप्रार्थी से दिलाया जावे।

स— दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत मुनासिब हो बख्सी जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जबाब मे वर्णित किया है कि एलआरएक्ट की धारा 136 मे केवल भू— प्रबन्ध द्वारा गलत किये गये इन्द्राजात को ठिक किये जाने का प्रावधान है पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेज जैसे भू. प्रबन्ध पूर्व की जमाबन्दी , मिलान क्षेत्रफल इत्यादी सलग्न नही किया है अतः प्रकरण धारा 136 का नही बनता है अतः प्रकरण को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

हमने वकील प्रार्थी प्रार्थी की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने निवेदन किया है ।

हमने वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र के साथ सलग्न दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2071—74 वाके ग्राम खैरथल तहसील किशनगढबास मे आराजी खसरा नम्बर 248 रकबा 1.26 हे. एवं खसरा नम्बर 205 रकबा 0.89हे0, 206 रकबा 0.51 हे., 211 रकबा 0.43 हे0, 214 रकबा 0.18 हे. वाके ग्राम खैरथल तहसील किशनगढबास के 1/3 हिस्से मे मु. गिन्दोडी बेवा रमेशचन्द वेदप्रकाश पुत्र रमेशचन्द माली दर्जराजस्व रिकार्ड है। तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संतदास माध्यमिक विधालय , आनन्द नगर खैरथल के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र मे प्रार्थी का नाम वेदप्रिय सेनी पुत्र रमेशचन्द सैनी दर्ज हैं तथा प्रस्तुत आधार कार्ड सख्या 5273 5695 3567 व भामाशाह सख्या 9999—आरजीजेडक्यू—00001 मे प्रार्थी का नाम वेदप्रिय दर्ज रिकार्ड है। जिससे यह साबित होता है प्रार्थी का नाम वेदप्रिय ही है और इसी नाम के आधार पर प्रार्थी द्वारा आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड व अन्य दस्तावेजात बना रखे है । जिससे यह बाखूबी साबित होता है कि प्रार्थी का उपनाम वेदप्रकाश है तथा अन्य पहचान दस्तावेज मे वेदप्रिय दर्ज है इसलिए प्रार्थी प्रार्थना को स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायसगंत समझते है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र काबिले स्वीकार है ।

अतः आदेश है:—

प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढबास को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 248 रकबा 1.16 हे0, 205 रकबा 0.89 हे., 206 रकबा 0.51 हे., 211 रकबा 0.43 हे0, 214 रकबा 0.18 हे0 वाके गाम खैरथल तहसील किशनगढबास मे जहा '' वेदप्रकाश पुत्र रमेशचन्द माली '' दर्ज हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर ''वेदप्रिय पुत्र रमेशचन्द माली'' दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार किशनगढबास को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो ।

(मुकुट सिंह चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

यह निर्णय आज दिनांक 11.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मुकुट सिह चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)